

डिप्टी बमुकदमें ईब्लदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
 वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए
 प्रकरण संख्या:- 186 / 2024


गुरविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. सुखदेव कौर पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
2. सुखपाल कौर उर्फ सर्वजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह पुत्री सुखदेव कौर जाति जटसिख निवासी सताखेडा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. स्वर्णजीत कौर उर्फ निन्दर कौर पत्नी सुखजीत सिंह कौर जाति जटसिख निवासी सताखेडा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. किन्दर कौर पत्नी जगसीर सिंह निवासी वार्ड नं. 06 निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. जगसीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 6 निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण



वह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते श्री फिसाल कतई रुबरू हनारे बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री दीपक कुमार बिश्नोई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिप्टी की दी जाती है कि वादी गुरविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि चक 7 एनकेआर के खाता संख्या 147/105 ज.स. 2073-76 में सुखदेव कौर पत्नी गुरनाम सिंह के हक व हिस्सा मे से 1.898 है. कृषि भूमि इसी खाता मे से जगसीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह के हक व हिस्सा मे से 0.127 है. कृषि भूमि चक 7 एनकेआर के खाता संख्या 146/136 में जगसीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह के नाम दर्ज मे से 0.531 हैक्ट कृषि भूमि इसी खाता मे से सुखदेव कौर पत्नी गुरनाम सिंह के नाम दर्ज मे से 0.759 है. कृषि भूमि चक नं. 15 एएमपी के खाता संख्या 49/95 में जगसीर सिंह के नाम दर्ज 0.278 है. कृषि भूमि इस प्रकार कुल 3.593 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव कौर पत्नी गुरनाम सिंह के हक व हिस्सा में चक नं. 7 एनकेआर के खाता संख्या 147/105 में 0.379 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 5 जगसीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह के हक व हिस्सा में चक नं. 7 एनकेआर के खाता संख्या 147/105 में 0.885 हैक्ट. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मुकद
 शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।
 बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2024 को जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया